DISH TV INDIA LIMITED

Corp. Office: FC – 19, Sector 16 A, Noida – 201301, U.P.
Regd. Office: Office No. 803, 8th Floor, DLH Park S. V. Road, Link Road, Goregaon (West), Mumbai-400062
E-mail: investor@dishd2h.com, CIN: L51909MH1988PLC287553, Website: www.dishd2h.com
Tel: 0120-5047000, Fax: 0120-4357078

NOTICE OF ADJOURNED 34th ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the Adjourned 34th Annual General Meeting ("Adjourned AGM") of the members of Dish TV India Limited will be held on **Thursday, December 29, 2022 at 12:30 PM** (IST) through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM), to transact the businesses as set forth in the notice of the Adjourned AGM of the Company dated December 6, 2022, in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos., 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020, 02/2021 dated January 13, 2021, 19/2021 dated December 8, 2021, 21/2021 dated December 14, 2021 and 02/2022 dated May 5, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/ HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022, issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars") (collectively referred to as 'Relevant Circulars').

In compliance with the Relevant Circulars, the Notice of the Adjourned AGM and statements thereto has been electronically sent on December 7, 2022 to those members who have registered their email IDs with the Company/Depository Participant(s). The copy of the aforesaid documents is also available on the website of the Company at www.dishd2h.com/annual-reports/, on the Website of the BSE Limited (BSE) at www.bseindia.com, on the website of National Stock Exchange of India Limited (NSE) at www.nseindia.com and also on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com. The relevant documents, if any, pertaining to the items of the business to be transacted at the Adjourned AGM shall be kept open for inspection by the members online during the Adjourned AGM though video-conference.

The venue of the meeting shall be deemed to be the Registered Office of the Company. Members participating through VC/OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act. The facility for appointment of Proxies by the Members will not be available since this Adjourned AGM is being conducted through VC/OAVM.

Instructions for remote E-voting and E-voting during the Adjourned AGM:

- Pursuant to section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Company is pleased to provide the facility to the members to exercise their right to vote by electronic means on resolutions proposed to be passed at the Adjourned AGM. Members holding shares either in physical form or dematerialized form as on Thursday, December 22, 2022 (cut-off date), can cast their vote electronically through electronic voting system (remote e-voting) of NSDL at www.evoting.nsdl.com. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on cut-off date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting at the Adjourned AGM.
- The remote E-voting period will commence at 09:00 AM (IST) on Sunday, December 25, 2022 and will end at 05:00 PM (IST) on Wednesday, December 28, 2022. Thereafter the E-voting module shall be disabled by NSDL. Once the vote on a resolution is casted by members, the members cannot modify it subsequently.
- Members who have acquired shares after the sending of the Notice of the Adjourned AGM and statements thereto through electronic means and before the cut-off date i.e. Thursday, December 22, 2022, may obtain the USER ID and Password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or investors@dishd2h.com. However, if a person is already registered with NSDL for remote e-voting then they may use their existing USER ID and Password, and cast their vote. Members attending the Adjourned AGM who have not cast their vote by remote e-voting shall be eligible to cast their vote through e-voting during the Adjourned AGM. Members who have voted through remote e-voting shall be eligible to attend the Adjourned AGM, however they shall not be eligible to vote at the meeting.
- Shareholders holding shares in physical mode and who have not updated their email addresses with the Company are requested to get their email registered with the company's Registrar and Transfer Agent, Link Intime India Private Limited by clicking the link viz. https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html or by writing to RTA with their details. Shareholders holding shares in dematerialized mode are requested to register/update their e-mail addresses with the concerned Depository participant(s).
- The detailed procedure of electronic voting is mentioned in the Notice of the Adjourned AGM and is also available on the website of NSDL viz. www.evoting.nsdl.com. In case of queries, members may refer to Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for Members available in the download section of the e-voting website of NSDL viz. www.evoting.nsdl.com. Members who need assistance before or during the Adjourned AGM may send a request to NSDL at evoting@nsdl.co.in or Contact Mr. Amit Vishal, Assistant Vice President or Mr. Pallavi Mhatre, Sr. Manager, at the designated email ID: evoting@nsdl.co.in or call at Toll free no: 1800-1020-990 and 1800-22-44-30.
- Any query or grievance connected with the Adjourned AGM, other than E-Voting, may be addressed to the Company Secretary at investor@dishd2h.com or at the corporate office address or members may contact Ms. Trupti Parab, Link Intime India Private Limited, the Registrar & Share Transfer Agent of the Company at C-101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083, Tel: +91 022 49186270, Fax: +91 022 49186060, E-mail: rnt.helpdesk@linkintime.co.in.

For **Dish TV India Limited**

Ranjit Singh
Company Secretary
Membership No: A15442

Place: Noida
Date: December 7, 2022

राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली पीठ, नई दिल्ली के समक्ष

कम्पनी आवेदन: सीए.(सीएए)110(एनडी)/2022
कम्पनी अधिनियम, 2013 के विषय में
तथा
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 तक के विषय में
तथा

एसएसडीएन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
सीआईएन: U74900DL2011PTC228317
कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत गठित एक कम्पनी
जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट नंबर 3, डी-76, लोअर ग्राउंड फ्लोर, मालवीय नगर, नई दिल्ली साउथ, दिल्ली-110017 में स्थित है

.... **अंतरणकर्ता/आवेदक कम्पनी-I**

का

अल्ट्राटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
सीआईएन: U51109DL1997PTC087489
कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत गठित एक कम्पनी
जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट नंबर 3, डी-76, लोअर ग्राउंड फ्लोर, मालवीय नगर, नई दिल्ली साउथ, दिल्ली-110017 में स्थित है

.... **अंतरिती/आवेदक कम्पनी-II**

के साथ समामेलन की स्कीम के विषय में
(सामूहिक रूप से आवेदक कम्पनीज कही गई हैं)

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उपरोक्त वर्णित अंतरणकर्ता और अंतरिती कंपनियों द्वारा अंतरणकर्ता कंपनी और अंतरिती कंपनी के सुरक्षित/असुरक्षित लेनदारों के वितरण और इक्विटी शेयरधारकों की बैठक (बैठकों) और समामेलन के लिए प्रथम प्रस्ताव का आवेदन माननीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण (न्यायालय IV) की दिल्ली पीठ (इसमें आगे 'माननीय न्यायाधिकरण' के रूप में संदर्भित) के समक्ष दायर किया गया था।

धारा 230 से 232 तक के तहत समामेलन की उपरोक्त स्कीम की प्रति कम्पनी के यूनिट नंबर 3, डी-76, लोअर ग्राउंड फ्लोर, मालवीय नगर, नई दिल्ली साउथ, दिल्ली-110017 में स्थित पंजीकृत कार्यालय से प्रत्येक कार्यदिवस को कार्यसमय के दौरान, रविवार और सार्वजनिक अवकाश के दिन छोड़कर, निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है।

उपरोक्त स्कीम माननीय न्यायाधिकरण के अनुमोदन के अधीन है। उपरोक्त समामेलन प्रस्ताव के लिए किसी को भी आपत्ति है, वह 3 (तीन) सप्ताह के भीतर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। इस प्रयोजन हेतु अंतरणकर्ता और अंतरिती कम्पनी एक याचिका माननीय माननीय ट्रिब्यूनल के अनुमोदन की मांग के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ याचिका दायर करेगी। याचिका की सुनवाई की अगली तिथि 24/01/2023 निर्धारित की गई है।

कोई भी व्यक्ति, जिसका हित समामेलन के प्रस्तावित स्कीम के प्रभावित होने की संभावना है, अपना अभिवेदन, यदि कोई हो तो इस सूचना के 3 (तीन) सप्ताह के भीतर माननीय न्यायाधिकरण में प्रस्तुत कर सकता है और साथ ही उसकी प्रति कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के पते पर प्रेषित करनी होगी।

वास्ते एसएसडीएन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
(राम स्वरूप ग्रोवर)
निदेशक
DIN: 01423867

वास्ते अल्ट्राटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
(राम स्वरूप ग्रोवर)
निदेशक
DIN: 01423867

दिनांक : 08/12/2022
स्थान : दिल्ली

6052
15/10/22
Form No. 3
[See Regulation-15 (1) (a)] / 16(3)

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, JAIPUR
First Floor, Sudharma-II, Lal Kothis
Shopping Center, Tonk Road, Jaipur- 302015
Case No.: OA/266/2022
Summons under sub-section (4) of section 19 of the Act, read with sub-rule (2A) of rule 5 of the Debt Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993.
Exh. No. **6801**

HDFC BANK VS **M/S G N FABRICS**

To, (1) M/s G N Fabrics Through Its Proprietor Mr Mohammed Salim, Address-e-24, Mandia Road, Pali, Pali Ho Pali, Rajasthan.
(2) Mr Mohd. Arif Chhippa S/o Mohd. Salim Chhippa, Address- 10 Lal Ji Ki Gali, Pali Ward No.22 Pali, Rajasthan -306401.
(3) Mr Mohammed Salim S/o Haji Gafurji, Address-10, Lalji Ki Gall Pali, Palimarwar Pali, Rajasthan -306401

SUMMONS

WHEREAS, **OA/266/2022** was listed before Hon'ble Presiding Officer/Registrar on **14/10/2022.**
WHEREAS this Hon'ble Tribunal is pleased to issue Summons/ Notice on the said Application under Section 19(4) of the Act, (O.A.) filed against you for Recovery of Debts of **Rs. 2095104/-** (Application along with copies of documents etc. annexed). In accordance with sub-section (4) of Section 19 of the Act, you the Defendants are directed as under:- **(i)** to show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted; **(ii)** to disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under serial number 3A of the original application; **(iii)** you are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under serial number 3A of the original application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties; **(iv)** you shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest is created and/ or other assets and properties specified or disclosed under serial number 3A of the original application without the prior approval of the Tribunal; **(v)** you shall be liable to account for the sale proceeds realised by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial institutions holding security interest over such assets. You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before **Registrar** on **12/01/2023** at **10:30 A.M.** failing which the application shall be heard and decided in your absence.
Given under my hand and the seal of this Tribunal on this date: **15/10/2022.**

Seal
Assistant Registrar,
Debts Recovery Tribunal, Jaipur

सार्वजनकि सूचना

"अमेरिकन एयरलाइन्स इंकार्पोरेटिड ने इलिनॉय की उत्तरी डिस्ट्रिक्ट (Northern District of Illinois) की यूनाइटिड स्टेटस डिस्ट्रिक्ट अदालत में निम्न डोमेन नामों से जुड़े व्यक्तियों तथा संस्थाओं के विरुद्ध सिविल मुकदमा संख्या 22-cv-03695 दायर किया है:
American-Arlines.com,
AmericanAirBooking.com,
AmericanAirFlightBooking.com,
American-airlineus.com,
American-airline.us,
American-airline-reservation.com,
Americanarflights.com,
Americanairflights.us,
AmericanAirFlight.com,
Americanflight-air.com,
Aaairbooking.com,
American-airtickets.com,
Americanair-ticket.com,
Americanairlne-changes.us,
Americanairtraveldesk.us,
Americanflyto.com.
यदि आप इन डोमेनों से जुड़े कोई व्यक्ति या संस्था हैं तो अदालत के 14 नवंबर 2022 के आदेश के अनुसार यह प्रकाशन अदालत के आदेश की प्रभावी सेवा है तथा आपके लिए इस प्रकाशन के 21 दिनों के भीतर शिकायत का उत्तर देना अनिवार्य है। किसी भी प्रश्न के लिए कृपया अमेरिकन एयरलाइंस इंक. के ग्रीनबर्ग ट्राउरिग एलएलपी (Greenberg Traurig LLP) स्थित वकील कैमरून नेल्सन (Cameron Nelson) से +1 (312) 456-8400 पर संपर्क करें"

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे ग्राहक, **श्री अनिल दत्त भार्गव पुत्र स्वर्गीय शीश राम, संपत्ति मकान सं. 70 (अधिमापन 260 वर्ग गज), गली सं. 1, पॉकेट–03, ग्राम–रंगपुरी की राजस्व संपदा, नई दिल्ली में स्थित, के स्वामी हैं। यह स्वामित्व, श्री अनिल दत्त भार्गव के पक्ष में डीडीए (पीएम–यूडीएवाई) (प्रलेख सं. 3552, बही सं. 1, खंड सं. 1588, पृष्ठ 183 से 185, एसआर–VIIए, सरोजिनी नगर, दिल्ली द्वारा) द्वारा पंजीकरण पर्ची दिनांकित 10–08–2021 द्वारा निष्पादित है,** जो कि पूर्व में जीपीए, एटीएस के माध्यम से श्री अनिल दत्त भार्गव के पक्ष में हस्तांतरित किया गया था तथा वसीयत दिनांकित 12–04–2006 श्री महेंद्र सिंह वर्मा पुत्र श्री तारा चंद द्वारा निष्पादित की गयी थी, तथा मेरे ग्राहक उक्त संपत्ति को फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लि. के पास बंधक रखने के इच्छुक हैं। कोई भी व्यक्ति जिसको इस बंधक के संबंध में कोई आपत्ति है, वह 7 दिवसों के अंदर विशिष्ट रूप में लिखित आपत्तियों के साथ अधोहस्ताक्षरकर्ता से संपर्क कर सकता है। ऐसा न होने पर यह माना जायेगा कि यहां इस बंधक के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है।

वरुण फोगट (अधिवक्ता)
फ्लैट सं. 3, मकान सं. 72, गली सं. 2, कृष्णा नगर, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली–110029
मोबाइल : 07982557892, varunphogaat@live.com

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे ग्राहक, **श्री कपिल पुत्र श्री महीपाल सिंह,** स्वामित्वधारक आवासीय मकान सं. 101, खसरा सं. 14, ग्राम–रायपुर खादर, परगना एवं तहसील–दादरी, जनपद–गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) में स्थित (क्षेत्र माप 258 वर्ग गज) के स्वामी हैं। यह स्वामित्व, श्री कपिल पुत्र महीपाल सिंह के पक्ष में (1) श्रीमती उर्मिला पत्नी श्री महीपाल सिंह तथा (2) रवि चौहान पुत्र श्री महीपाल सिंह द्वारा निष्पादित पंजीकृत उपहार विलेख दिनांकित 25–09–2020 (प्रलेख सं. 2809, बही सं. 1, खंड सं. 7908, पृष्ठ 1 से 26, एसआर–III, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश द्वारा) द्वारा निष्पादित है, तथा मेरे ग्राहक उक्त संपत्ति को फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लि. के पास बंधक रखने के इच्छुक हैं। कोई भी व्यक्ति जिसको इस बंधक के संबंध में कोई आपत्ति है, वह 7 दिवसों के अंदर विशिष्ट रूप में लिखित आपत्तियों के साथ अधोहस्ताक्षरकर्ता से संपर्क कर सकता है। ऐसा न होने पर यह माना जायेगा कि यहां इस बंधक के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है।

वरुण फोगट (अधिवक्ता)
फ्लैट सं. 3, मकान सं. 72, गली सं. 2, कृष्णा नगर, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली–110029
मोबाइल : 07982557892, varunphogaat@live.com

सार्वजनिक सूचना

आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण चंडीगढ़ एवं मुंबई द्वारा अपने आदेश क्रमशः दिनांक 12 सितम्बर, 2022 (सीपी (सीएए) नं. 11/सीएचडी/एचआरवाई/2022) और 16 सितम्बर, 2022 सीपी (सीएए) 39/एमबी/सी–1/2022 के माध्यम से अनुमोदित समामेलन की योजना और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (2) एवं (3) के साथ पठित कंपनी (गठन) नियम, 2014 के नियम 29 के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसरण में **''बैक्साल्टा बायोसाइंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड'' (''कंपनी'')** जिसका CIN: U51909HR2015FTC055144 है एवं पंजीकृत कार्यालय छठा तल, टॉवर–सी, भवन नं. 8, डीएलएफ साइबर सिटी, डीएलएफ फेज–2 गुड़गांव, हरियाणा–122001 में है, ने इस संबंध में लागू नियमों एवं कानूनी अनुपालनों के अनुसरण में **20 अक्टूबर, 2022 से अपना नाम ''बैक्साल्टा बायोसाइंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड''** से बदलकर **''तकेड़ा बायोफार्मास्यूटिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड''** रख लिया है।

सभी संबंधित पार्टियों से अनुरोध किया जाता है कि कृपया वे उपरोक्त जानकारी को नोट करें और तद्नुसार अपने रिकार्ड अपडेट करें तथा सभी भावी पत्राचार कंपनी के नये नाम अर्थात् **''तकेड़ा बायोफार्मास्यूटिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड''** के नाम जारी करें। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, सम्पर्क सूचना और पैन तथा जीएसटीआईएन में कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह पूर्व की तरह यथावत हैं। सभी पत्राचार कंपनी के उपरोक्त वर्णित पंजीकृत कार्यालय में कंपनी के नये नाम ''तकेड़ा बायोफार्मास्यूटिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड'' के साथ भेजे जाने चाहिए।

तकेड़ा बायोफार्मास्यूटिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए और उनकी ओर से
(पूर्ववर्ती बैक्साल्टा बायोसाइंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के रूप में ज्ञात)

स्थान : गुड़गांव — हस्ता/–
दिनांक : 08.12.2022 — प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे ग्राहक, **श्री भूपेश गौड़ पुत्र स्वर्गीय चंदर भान शर्मा, स्वामित्वधारक आवासीय मकान, खसरा सं. 619, दाना दत्ता ग्राम, चौधा सादतपुर, परगना एवं तहसील–दादरी, जनपद–गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) में स्थित (क्षेत्र माप 355.66 वर्ग गज) के स्वामी हैं।** यह स्वामित्व, श्रीमती विद्या शर्मा पत्नी स्वर्गीय चंदर भान शर्मा द्वारा निष्पादित पंजीकृत उपहार विलेख दिनांकित 17–11–2022 (प्रलेख सं. 9094, बही सं. 1, खंड सं. 13205, पृष्ठ 63 से 82, एसआर–II, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश द्वारा) द्वारा निष्पादित है, तथा मेरे ग्राहक उक्त संपत्ति को फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लि. के पास बंधक रखने के इच्छुक हैं। कोई भी व्यक्ति जिसको इस बंधक के संबंध में कोई आपत्ति है, वह 7 दिवसों के अंदर विशिष्ट रूप में लिखित आपत्तियों के साथ अधोहस्ताक्षरकर्ता से संपर्क कर सकता है। ऐसा न होने पर यह माना जायेगा कि यहां इस बंधक के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है।

वरुण फोगट (अधिवक्ता)
फ्लैट सं. 3, मकान सं. 72, गली सं. 2, कृष्णा नगर, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली–110029
मोबाइल : 07982557892, varunphogaat@live.com

FORM-5
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, ALLAHABAD

9/2-A, Panna Lal Road, Allahabad Uttar Pradesh 211002
Summons for filling Reply & Appearance By Publication
O.A. No. 111 Of 2022 — **Date 26.10.2022**

Summons to Defendant Under Section 19 (3) of the Recovery of Debts Due to Bank & Financial Institutions Act, 1993 Read with Rules 12 & 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rules, 1993)

KARNATIKA BANK — **APPLICANT**
JITENDRA KUMAR & ANOTHER — **DEFENDANTS**

To,
1. Jitendra Kumar aged about 32 Years, S/o Ram Saran Singh, Gram Asadpur, Thana Raja Ka Rampur, Kaila, Distt. Etah Uttar Pradesh. 207247
2. M/s C.N.X. Corporation Limited, 301, 3rd floor, Embassy Center, Nariman Point, Mumbai 400021 Maharashtra Through its Managing Director Smt. Nirupama Dattatraya Pedurkar.

DEFENDANTS

In the above noted application Your are required to file reply in paper book form In two sets along with documents and affidavits (if any) personally or though your duly authorized agent, or legal practitioner in Tribunal after serving copy of same on the applicant on his counsel / duly authorized agent within 30 days from the date of Service of the summons & There after to appear before the tribunal on 19.12.2022 at 10.30 am failing which the application shall be heard & Decided in your absence.

REGISTRAR
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, ALLAHABAD

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी ग्राहक, **श्रीमती सुनीता यादव पत्नी श्री राम निवास यादव, निर्मित संपत्ति माप 418 वर्ग गज, खसरा सं. 506 में से, ग्राम–रजोकरी, विश्वकर्मा कॉलोनी के नाम से विदित, नई दिल्ली–110038,** की स्वामिनी हैं। यह स्वामित्व, श्रीमती सुनीता यादव के पक्ष में डीडीए (पीएम–यूडीएवाई) (प्रलेख सं. 4318, अतिरिक्त बही सं. 1, खंड सं. 1627, पृष्ठ 1 से 4, एसआर–VIIए, सरोजिनी नगर, दिल्ली द्वारा) द्वारा पंजीकरण पर्ची दिनांकित 08–09–2021 द्वारा निष्पादित है, जो कि पूर्व में जीपीए, एटीएस के माध्यम से श्रीमती सुनीता यादव के पक्ष में हस्तांतरित किया गया था तथा वसीयत दिनांकित 27–09–2007 श्री मनोज कुमार यादव द्वारा निष्पादित की गयी थी, तथा मेरी ग्राहक उक्त संपत्ति को फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लि. के पास बंधक रखने की इच्छुक है। कोई भी व्यक्ति जिसको इस बंधक के संबंध में कोई आपत्ति है, वह 7 दिवसों के अंदर विशिष्ट रूप में लिखित आपत्तियों के साथ अधोहस्ताक्षरकर्ता से संपर्क कर सकता है। ऐसा न होने पर यह माना जायेगा कि यहां इस बंधक के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है।

वरुण फोगट (अधिवक्ता)
फ्लैट सं. 3, मकान सं. 72, गली सं. 2, कृष्णा नगर, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली–110029
मोबाइल : 07982557892, varunphogaat@live.com

FORM-5
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, ALLAHABAD

9/2-A, Panna Lal Road, Allahabad Uttar Pradesh 211002
Summons for filling Reply & Appearance By Publication
O.A. No. 112 Of 2022 — **Date 26.10.2022**

Summons to Defendant Under Section 19 (3) of the Recovery of Debts Due to Bank & Financial Institutions Act, 1993 Read with Rules 12 & 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rules, 1993)

KARNATIKA BANK — **APPLICANT**
RAJVEER SINGH & ANOTHER — **DEFENDANTS**

To,
1. Rajveer Singh aged about ---- Years, S/o Lala Ram , Durga Colony, Sarai Aghat, Etah Uttar Pradesh. 207247
2. M/s C.N.X. Corporation Limited, 301, 3rd floor, Embassy Center, Nariman Point, Mumbai 400021 Maharashtra Through its Managing Director Smt. Nirupama Dattatraya Pedurkar.

DEFENDANTS

In the above noted application Your are required to file reply in paper book form In two sets along with documents and affidavits (if any) personally or though your duly authorized agent, or legal practitioner in Tribunal after serving copy of same on the applicant on his counsel / duly authorized agent within 30 days from the date of Service of the summons & There after to appear before the tribunal on 19.12.2022 at 10.30 am failing which the application shall be heard & Decided in your absence.

REGISTRAR
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, ALLAHABAD

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी ग्राहक, **श्रीमती सुकृति कुमार पत्नी स्वर्गीय रवि कुमार, संपत्ति प्राइवेट यूनिट नं. 1, भूतल, पीछे की ओर की चाहरदीवारी (पश्चिम की ओर), संपत्ति सं. एल/2ए, हौज खास एन्क्लेव, नई दिल्ली–110016 (क्षेत्र माप 200 वर्ग गज), की स्वामिनी हैं।** यह स्वामित्व, श्रीमती सुकृति कुमार के पक्ष में संन्यास विलेख दिनांकित 17–06–2022 द्वारा प्रलेख सं. 5985, अतिरिक्त बही सं. 1, खंड सं. 4726, पृष्ठ 169 से 17, उप–पंजीयक–Vए, हौज खास, दिल्ली के माध्यम से विधिवत पंजीकृत, तथा श्रीमती सुकृति कुमार के पक्ष में संन्यास विलेख दिनांकित 01–09–2022 द्वारा प्रलेख सं. 8057, अतिरिक्त बही सं. 1, खंड सं. 4858, पृष्ठ 30 से 41, उप–पंजीयक–Vए, हौज खास, दिल्ली के माध्यम से विधिवत पंजीकृत है, तथा मेरी ग्राहक उक्त संपत्ति को फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लि. के पास बंधक रखने की इच्छुक है। कोई भी व्यक्ति जिसको इस बंधक के संबंध में कोई आपत्ति है, वह 7 दिवसों के अंदर विशिष्ट रूप में लिखित आपत्तियों के साथ अधोहस्ताक्षरकर्ता से संपर्क कर सकता है। ऐसा न होने पर यह माना जायेगा कि यहां इस बंधक के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है।

वरुण फोगट (अधिवक्ता)
फ्लैट सं. 3, मकान सं. 72, गली सं. 2, कृष्णा नगर, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली–110029
मोबाइल : 07982557892, varunphogaat@live.com

इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस लिमिटेड — मांग सूचना

ऑडुम्बर, प्लॉट नंबर 101/1, एरंडवाने, डॉ. केतकर रोड, पुणे 411004, महाराष्ट्र, भारत

विषयः वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (''सरफेसी अधिनियम, 2002'') की धारा 13(2) के तहत सूचना।

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम के तहत इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस लिमिटेड (ईएफएल) का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते और नियमों के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पहले ही अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत नीचे दिए गए विवरण के अनुसार यहां सूचीबद्ध कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) (सभी अलग-अलग या एक साथ ''दायित्वधारी'' संदर्भित)/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) से, संबंधित नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर संबंधित डिमांड नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए विस्तृत मांग सूचना जारी की है। उक्त नोटिस की प्रतियां पंजीकृत डाक एडी द्वारा भेजी गयी हैं और अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं, और उक्त दायित्वधारी(यों) /विधिक उत्तराधिकारी/विधिक प्रतिनिधि, यदि वे चाहें, तो सामान्य कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर अधोहस्ताक्षरी से संबंधित प्रति प्राप्त कर सकते हैं।

उपरोक्त के संबंध में, एतद्वारा, एक बार फिर, उक्त दायित्वधारी(यों))/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) से संबंधित सूचना(ओं) की तारीख से 60 दिनों के भीतर उनके संबंधित नामों के सामने नीचे दी गई राशि, साथ ही नीचे दिए गए कॉलम (डी) में नीचे वर्णित संबंधित तारीखों से भुगतान और / या वसूली की तारीख तक, कथित दायित्वधारियों द्वारा निष्पादित ऋण समझौते और अन्य दस्तावेजों / लेखों, यदि कोई हो, के साथ पठित भावी ब्याज का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, ऋण की देय चुकौती के लिए प्रतिभूति के रूप में, निम्नलिखित प्रतिभूत संपत्ति (यों) को क्रमशः उक्त दायित्वधारि(यों) द्वारा ईएफएल के पास गिरवी रखा गया है।

ऋण खाता सं.	दायित्वधारी(यों))/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) के नाम	निम्नलिखित तिथि तक कुल बकाया (रु.)*	मांग सूचना की तिथि/ एनपीए की तिथि
119-49003-2016-19-1	1. रैपिड-टेक मोल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड पताः जी-एल 562 - रीको औद्योगिक क्षेत्र खुशखेड़ा - अलवर - राजस्थान - 301019, सम्पत्ति का पता : प्लॉट नं. 129, जोनिंग प्लॉट नं. 117, ब्लॉक-ए, बेस्टेक सिटी, धारूहेड़ा, ग्राम-मालपुरा, तहसील धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी हरियाणा -345027, 2. सतपाल और 3. ललिता, क्रमांक 2 और 3 का पताः मकान नंबर 837, सेक्टर -6, हाउसिंग बोर्ड के पास, धारूहेड़ा, गुड़गांव - हरियाणा -122106	रु. 41,00,500/- (रुपये इकतालीस लाख पांच सौ मात्र) तिथि 22.08.2022 तक	07.12.2022 05.08.2022

चल सम्पत्ति का विवरण -1. सम्पत्ति/प्लॉट सं. 129, क्षेत्रफल माप 312.5 वर्ग मीटर का समस्त भाग, जोनिंग प्लान के अनुसार कथित प्लॉट को प्लॉट नंबर II7, ब्लॉक-ए में, बेस्टेक सिटी धारूहेड़ा आवासीय कॉलोनी के रूप में अंकित, ग्राम मलापुरा, तहसील धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा -345027 में स्थित। सीमाएँ : पूर्वः- प्लॉट नं. 150, उत्तरः- प्लॉट नं. 130, पश्चिमः- रोड, दक्षिणः- प्लॉट नं. 128.

*आगे ब्याज के साथ, ऊपर संबंधित मांग सूचना में उल्लिखित तिथि में विशेष रूप से उल्लिखित दर पर अतिरिक्त ब्याज, भुगतान और/या वसूली की तारीख तक किए गए आकस्मिक खर्च, लागत, शुल्क आदि। यदि उक्त दायित्वधारी ईएफएल को पूर्वोक्त रूप में भुगतान करने में विफल रहता है, तो ईएफएल दायित्वधारी(यों)/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) के पूर्ण लागत एवं परिणाम के जोखिम पर उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त प्रतिभूत संपत्ति(यों)/चल संपत्ति(यों) के विरुद्ध आगे कार्यवाही करेगा। उक्त अधिनियम के तहत उक्त दायित्वधारी(यों))/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) को उक्त प्रतिभूत संपत्ति/चल संपत्ति(यों) को बिना ईएफएल की पूर्व लिखित सहमति के बिक्री के माध्यम से, पट्टे पर या अन्यथा विधि से हस्तांतरित करने के लिए निषिद्ध किया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो वह अधिनियम के तहत कारावास और/या दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

तिथि : 08.12.2022
स्थान : रिवाड़ी, हरियाणा

ह./ अधिकृत अधिकारी
कृते इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस लिमिटेड

FORM-5
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, ALLAHABAD

9/2-A, Panna Lal Road, Allahabad Uttar Pradesh 211002
Summons for filling Reply & Appearance By Publication
O.A. No. 113 Of 2022 — **Date 26.10.2022**

Summons to Defendant Under Section 19 (3) of the Recovery of Debts Due to Bank & Financial Institutions Act, 1993 Read with Rules 12 & 13 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure Rules, 1993)

KARNATIKA BANK — **APPLICANT**
ADARSH CHAUDHARY & ANOTHER — **DEFENDANTS**

To,
1. Adarsh Chaudhary aged about 29 Years, S/o Anil Kumar, B-76, Astha City, Near Agra Public School, Runakta, Agra Uttar Pradesh. 282007
2. M/s C.N.X. Corporation Limited, 301, 3rd floor, Embassy Center, Nariman Point, Mumbai 400021 Maharashtra Through its Managing Director Smt. Nirupama Dattatraya Pedurkar.

DEFENDANTS

In the above noted application Your are required to file reply in paper book form In two sets along with documents and affidavits (if any) personally or though your duly authorized agent, or legal practitioner in Tribunal after serving copy of same on the applicant on his counsel / duly authorized agent within 30 days from the date of Service of the summons & There after to appear before the tribunal on 22.12.2022 at 10.30 am failing which the application shall be heard & Decided in your absence.

REGISTRAR
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, ALLAHABAD

प्रपत्र सं. 3 [विनियमन-15(1)(ए)/16(3) देखें]

ऋण वसूली न्यायाधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2)

पहली मंजिल, एससीओ 33-34-35 सेक्टर-17ए, चंडीगढ़ (तीसरी एवं चौथी मंजिल पर भी अतिरिक्त जगह आबंटित की गई है)

ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1993 के नियम 5 के उप-नियम (2ए) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अधीन सम्मन।
मामला सं.: ओए/1073/2020 — **ईएक्सएच.सं.: 14626**

एचडीएफसी बैंक बनाम मैसर्स डेज सोलर आईएनसी

सेवा में, (1) डेज सोलर आईएनसी, प्लॉट नं. 853, आठवीं मंजिल, टावर बी2 स्पेज आईटी पार्क, सेक्टर-49, गुड़गाँव, हरियाणा-122001 अपने साझेदार के जरिए चंडीगढ़। **(2) श्रीमती रीना अहलुवालिया** पति हरदीप सिंह आवास मकान नं. 132 सेक्टर 8-ए चंडीगढ़ (3) श्री जसजीत सिंह अहलुवालिया आवास मकान नं. 132 सेक्ट 8-ए चंडीगढ़

सम्मन

चूंकि, ओए/1073/2020 माननीय पीठासीन अधिकारी/पंजीयक के समक्ष दिनांक **10/10/2022** को सूचीबद्ध किया गया था। चूंकि यह माननीय न्यायाधिकरण **रु. 27,25,231.77** की बकाया रकम की वसूली के लिए आपके खिलाफ दायर (ओए) के परिप्रेक्ष्य में अधिनियम की धारा 19(4) के अधीन उक्त आवेदन पर सम्मन/सूचना जारी कर हर्षित है (आवेदन के साथ दस्तावेज की प्रतिलिपियां इत्यादि संलग्न है)। अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अनुसार, आप प्रतिवादियों को निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं:- (i) सम्मन सेवित किए जाने के तीस दिनों के अंदर यह कारण बताएं कि प्रार्थित राहतों को क्यों न स्वीकार कर लिया जाए; (ii) मूल आवेदन के क्रमांक 3ए के अधीन आवेदक द्वारा निर्धारित सम्पत्तियों तथा आस्तियों के अलावा सम्पत्तियों अथवा आस्तियों के विवरण का उल्लेख करें; (iii) मूल आवेदन के क्रमांक 3ए, लंबित सुनवाई तथा सम्पत्तियों की कुर्की के लिए आवेदन के निपटान के अधीन प्रकट की गई सम्पत्तियों तथा प्रत्याभूत आस्तियों तथा इस तरह के अन्य आस्तियों के निपटान अथवा उसका सौदा करने के लिए आप पर रोक लगा दी गई है; (iv) न्यायाधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बगैर आप मूल आवेदन के क्रमांक 3ए के अधीन प्रकट अथवा निर्धारित सम्पत्तियों तथा अन्य कोई भी सम्पत्तियां जिस पर प्रतिभूति हित सृजित की गई है तथा/अथवा अन्य निर्दिष्ट सम्पत्तियों को, उनके व्यवसाय की सामान्य प्रक्रियाओं को छोड़कर, बिक्री, पट्टे अथवा अन्य किसी भी रूप में हस्तांरण नहीं कर पाएंगे। (v) प्रत्याभूत सम्पत्तियों अथवा अन्य सम्पत्तियों तथा व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में सम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त रकम हेतु खाता धारण करने तथा संबंधित सम्पत्तियों पर प्रतिभूति हित धारण करने वाले बैंक अथवा वित्तीय संस्थानों द्वारा रखरखाव किए जाने वाले खाते में उस रकम को जमा करने की जिम्मेदारी आप पर होगी। आपको लिखित बयान भी दायर कर उसकी प्रतिलिपि आवेदक के पास प्रेषित करने तथा **पंजीयक** के समक्ष **दिनांक 07/03/2023 को सुबह 10.30 बजे** उपस्थित होने का भी निर्देश दिया जाता है, अन्यथा आपकी अनुपस्थिति में आवेदन पर सुनवाई कर उस पर निर्णय प्रदान कर दिया जाएगा। मेरे हाथों तथा इस न्यायाधिकरण की मुहर द्वारा दिनांकः **29/11/2022** को जारी।

सम्मन जारी करने हेतु अधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर

एनएचपीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

पंजीकृत कार्यालयः एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर–33, फरीदाबाद, हरियाणा–121003
सीआईएनः **L40101HR1975GOI032564**
टेलीफोन : 0129-2588110
वेबसाइट : www.nhpcindia.com — ई-मेल: investorcell@nhpc.nic.in

सूचना
(कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के ध्यान के लिए)
कम्पनी के इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरण

निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 ("आईईपीएफ नियम"), यथा संशोधित, के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 124 के प्रावधानों के अनुसरण में, एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि जिन शेयरों के संबंध में लगातार सात या उससे अधिक वर्षों से लाभांश की अदायगी नहीं की गई है या शेयर धारकों द्वारा दावा नहीं किया गया है, उन्हें कम्पनी द्वारा आईईपीएफ प्राधिकरण में अन्तरित कर दिया जाएगा।

आईईपीएफ नियम में यथा निर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुपालन में, कम्पनी ने दिनांक नवंबर 29, 2022 के अपने पत्र के माध्यम से संबंधित शेयरधारकों, जिनके शेयर 9 अप्रैल, 2023 तक आईईपीएफ में अंतरण के लिए देय हैं, को उनके नवीनतम उपलब्ध पते पर सूचित किया है कि वे अपने अदावाकृत / अप्रदत्त लाभांशों के लिए दावा प्रस्तुत करें। ऐसे शेयरधारकों से संबंधित विवरण कम्पनी की वेबसाइट www.nhpcindia.com में अपलोड किए गए हैं। कम्पनी द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए गए विवरण को शेयरों का आईईपीएफ में अंतरण के संबंध में पर्याप्त नोटिस माना जाएगा। यह भी सूचित किया जाता है कि अधिनियम और आईईपीएफ नियम के अनुपालन में, ऐसे शेयरों पर मिलने वाले सभी लाभ अर्थात् लाभांश, बोनस शेयर आदि को भी आईईपीएफ में अन्तरित किया जाएगा।

जिन शेयरों के लिए अक्टूबर, 2022 तक लगातार सात या इससे अधिक वर्षों तक लाभांश अदावाकृत या अप्रदत्त रहे हैं, उन्हें आईईपीएफ प्राधिकरण में पहले ही अंतरित किया जा चुका है। ऐसे शेयरधारकों का विवरण कम्पनी की वेबसाइट www.nhpcindia.com पर उपलब्ध हैं।

शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे वर्ष 2015-16 से लेकर अब तक के वर्षों के लिए अदावाकृत लाभांश का दावा प्रस्तुत करने के लिए पैनकार्ड की स्व–प्रमाणित प्रति, पते का प्रमाण और क्लाइंट मास्टर लिस्ट सहित अपना खाता संख्या या फोलियो नम्बर का उल्लेख करते हुए अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट को तुरंत एक औपचारिक पत्र भेजें। यदि कम्पनी / रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट को 10 मार्च, 2023 या ऐसी अन्य तारीख, जो आगे बढ़ाई जा सकती है, तक संबंधित शेयरधारकों से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो कंपनी आईईपीएफ नियमों में दी गई प्रक्रिया के अनुसार बिना अन्य सूचना दिए गए शेयरों को आईईपीएफ में अंतरित करने की कार्रवाई आरंभ कर देगी।

संबंधित शेयरधारक जो भौतिक रूप में शेयर रखते हैं और जिनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किए जाने हैं, वो ध्यान दें कि नियमानुसार इन शेयरों के डीमेटेरियलाइजेशन तथा इन्हें आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित करने के उद्देश्य से कंपनी उनके द्वारा रखे गए मूल शेयर प्रमाणपत्र के बदले में नया प्रमाणपत्र जारी करेगी। इसके साथ ही, शेयरधारकों के नाम पर पंजीकृत मूल प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हो जाएंगे और बिक्री योग्य नहीं रह जाएंगे।

शेयरधारक कृपया नोट करें कि www.iepf.gov.in पर उपलब्ध आईईपीएफ नियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद आईईपीएफ में अन्तरित किए गए शेयरों और अदावाकृत राशियों के लिए आईईपीएफ से इन्हें वापस लेने का दावा किया जा सकता है। कृपया नोट करें कि उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसरण में आईईपीएफ में अन्तरित की गई अदावाकृत राशि और शेयरों के संबंध में कम्पनी के विरूद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकेगा।

यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो नि:संकोच कंपनी / अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड से निम्नलिखित पते / ईमेल / टेलीफोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं:

एनएचपीसी लिमिटेड एनएचपीसी कार्यालय परिसर सेक्टर–33 फरीदाबाद, हरियाणा –121003 टेलीफोन: 0129–2250437 ई–मेल : investorcell@nhpc.nic.in	**अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड,** श्री अभिनव कुमार अग्रवाल, उप महाप्रबंधक / श्री महेश चंद्र पाण्डेय, उप प्रबंधक अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड 4ई/2, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055 दूरभाषः 011-42541234, 011-23541234, टोल फ्री नंबरः 18601212155 फैक्सः 011-42541201, 011-23552001 ईमेलः alankit.nhpc@alankit.com

सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 40(1) के अनुसरण में, प्रतिभूतियों के हस्तांतरण को प्रभावित करने के अनुरोध पर तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि प्रतिभूतियों को एक डिपोजिटरी के पास डीमैटरियलाइज्ड रूप में नहीं रखा जाता है। इसलिए शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी भौतिक स्वामित्व को डीमैटरियलाइज करें। वे शेयरधारक जिनके फोलियो में उनकी ईमेल आईडी, बैंक खाते और पैन विवरण से संबंधित पूर्ण विवरण नहीं है, उनसे अनुरोध है कि वे alankit.nhpc@alankit.com पर फॉर्म आईएसआर–1(कंपनी की वेबसाइटः www.nhpcindia.com पर उपलब्ध है) भेजकर इसे आरटीए के साथ पंजीकृत / अद्यतन करें। डीमैट मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से अपने उपर्युक्त विवरण को अद्यतन / पंजीकृत करें।

एनएचपीसी लिमिटेड के लिए और उसकी ओर से :
हस्ता./-
(रूपा देब)
कम्पनी सचिव

दिनांकः दिसम्बर 02, 2022
स्थान : फरीदाबाद

पीटीसी इंडिया फाइनैंशियल सर्विसेज लिमिटेड

PTC India Financial Services Limited

16वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना, रेकार्ड तिथि और रिमोट ई–वोटिंग की जानकारी

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि पीटीसी इंडिया फाइनैंशियल सर्विसेज लिमिटेड **(कम्पनी)** के सदस्यों की 16वीं वार्षिक सामान्य बैठक **(एजीएम)** शुक्रवार, 30 दिसम्बर, 2022 को पूर्वा. 11.00 बजे **(आईएसटी)**, एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसायों के निष्पादन हेतु, कम्पनी अधिनियम, 2013 **(अधिनियम)** और तदधीन विरचित नियमों तथा सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 (सूचीयन विनियमावली) के साथ पठित कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा जारी जनरल सर्कुलर नंबर 14/2020 (दिनांकित 8 अप्रैल, 2020), 17/2020 (दिनांकित 13 अप्रैल, 2020), 20/2020 (दिनांकित 5 मई, 2020), 22/2020 (दिनांकित 15 जून, 2020), 02/2021 (दिनांकित 13 जनवरी, 2021), 20/2021 (दिनांकित 8 दिसम्बर, 2021) तथा 2/2022 (दिनांकित 5 मई, 2022) ("एमसीए सर्कुलर्स") तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी सर्कुलर नंबर सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर /पी/2020/79 दिनांकित 12 मई, 2020 एवं सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांकित 15 जनवरी, 2021 तथा सर्कुलर नंबर सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2 /सीआईआर/पी/2022/62 दिनांकित 13 मई, 2022 ("सेबी सर्कुलर्स") के लागू प्रावधानों के अनुपालन में सदस्यों की किसी एक स्थान पर भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेन्स (वीसी) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

एजीएम की सूचना वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट सहित केवल इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा उन सदस्यों को भेजी जा रही है, जिनकी ई–मेल आईडी'ज कम्पनी/आरटीए/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट(पार्टिसिपैंट्स) के पास 02 दिसम्बर, 2022 को पंजीबद्ध हैं। कृपया नोट करें कि सदस्यों को 16वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता, एमसीए सर्कुलर/सर्कुलर्स तथा सेबी सर्कुलर/सर्कुलर्स द्वारा समाप्त कर दी गई है। एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट **www.ptcfinancial.com** पर तथा बीएसई लिमिटेड और नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट्स **www.bseindia.com** और **www.nseindia.com** क्रमानुसार पर तथा केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेन्ट ("वीसी सुविधा, रिमोट ई–वोटिंग और ई–वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एजेन्सी/केफिन") की वेबसाइट नामतः https://evoting.kfintech.com पर भी उपलब्ध होंगी।

एजीएम की सूचना में वीसी के माध्यम से एजीएम में भाग लेने हेतु अनुदेश और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की विस्तृत विधि दी जा रही है। कम्पनी, एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध सभी व्यवसायों पर, लागू प्रावधानों के अनुसार ग्राह्य सदस्यों को, रिमोट ई–वोटिंग सुविधा ("रिमोट ई–वोटिंग") तथा एजीएम के दौरान ई–वोटिंग सिस्टम की सुविधा ("ई–वोटिंग") (सामूहिक रूप से "इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग" कही गई हैं) प्रदान कर रही है। रिमोट ई–वोटिंग की अवधि 27 दिसम्बर, 2022 को प्रातः 9.00 बजे आरंभ होगी तथा 29 दिसम्बर, 2022 को सायं 5.00 बजे समाप्त होगी। कम्पनी के सदस्य, जो 23 दिसम्बर, 2022 की कट–ऑफ तिथि को भौतिक या अभौतिक रूप में शेयर्स के धारक हैं, अपना वोट रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अथवा एजीएम के समय पर ई–वोटिंग द्वारा डाल सकते हैं। जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा वोट नहीं डाला होगा, वे एजीएम में ई–वोटिंग द्वारा वोट डाल सकेंगे। वीसी के माध्यम से भाग ले रहे सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के तहत गणपूर्ति हेतु की जाएगी।

सूचना और वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के सीमित उद्देश्य हेतु, ऐसे सदस्यों, जिनके द्वारा अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं करवाया गया है और फलस्वरूप, सूचना और वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, उनसे अनुरोध है कि वे अपना ई–मेल पता और मोबाइल नंबर सूचना में दी गई प्रक्रिया का पालन करके अथवा लिंक **https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx** के माध्यम से पंजीकरण द्वारा केफिन के पास पंजीकृत करवा लें।

ई–मेल आईडी के स्थायी पंजीकरण के बारे में विशिष्ट विवरण के लिए, कृपया कम्पनी की वेबसाइट पर उपलब्ध एजीएम की सूचना में दिए गए अनुदेश देखें।

कोई व्यक्ति, जो एजीएम की सूचना के इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण के पश्चात कम्पनी के शेयर अर्जित करता है और कम्पनी का सदस्य बनता है तथा 23 दिसम्बर, 2022 की कट–ऑफ तिथि को शेयर धारक है, वह एजीएम की सूचना में वर्णित अनुदेशों का पालन कर अथवा **evoting@kfintech.com** पर अनुरोध भेजकर लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोटिंग के संबंध में, किसी पूछताछ तथा/अथवा शिकायत की स्थिति में, सदस्यगण **(https://evoting.kfintech.com/public/Faq.aspx** (केफिन वेबसाइट) के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध हेल्प एवं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स (एफएक्यू'ज) तथा ई–वोटिंग यूजर मैनुअल देखें अथवा किसी अतिरिक्त स्पष्टीकरण के लिए श्री राज कुमार काले, सहायक महाप्रबंधक – आरआईएस से **rajkumar.kale@kfintech.com** अथवा **evoting@kfintech.com** पर सम्पर्क करें अथवा केफिन के टोल फ्री नंबर : 1800 309 4001 पर कॉल करें।

वास्ते पीटीसी इंडिया फाइनैंशियल सर्विसेज लिमिटेड
हस्ता./–
(श्वेता अग्रवाल)
कम्पनी सेक्रेटरी

तिथि : 06–12–2022
स्थान : नई दिल्ली

पीटीसी इंडिया फाइनैंशियल सर्विसेज लिमिटेड
(सीआईएन : L65999DL2006PLC153373) (पीटीसी इंडिया लिमिटेड की एक अनुषंगी)
पंजीकृत कार्यालय : 7वां तल, टेलीफोन एक्सचेंज बिल्डिंग, 8, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110066, भारत
बोर्ड : +91 11 26737300, फैक्स : +91 11 26737373, वेबसाइट : www.ptcfinancial.com, ई–मेल : info@ptcfinancial.com

6119
19/10/22
Form No. 3
[See Regulation-15 (1) (a)] / 16(3)

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, JAIPUR
First Floor, Sudharma-II, Lal Kothis
Shopping Center, Tonk Road, Jaipur- 302015
Case No.: OA/265/2022
Summons under sub-section (4) of section 19 of the Act, read with sub-rule (2A) of rule 5 of the Debt Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993.
Exh. No. **6841**

HDFC BANK VS **M/S DHANSHREE GROUP**

To, (1) M/s Dhanshree Group Karda Choraya, Near Krishi Mandi, Opposite Life Line Hospital, Ram Singh Road, Bhinmal Through Its Proprietor Mr Dinesh Gupta S/o Manoj Kumar, Jalor, Rajasthan. **(2) Mr Dipesh Gupta S/o Manoj Kumar,** Address- House No.100, Shreemal Nagar, Bhinmal Jalor, Rajasthan -343039.
(3) Mrs Suman Gupta W/o Mr Om Prakash Gupta Address- House No.100 Adarsh Nagar, Bhinmal, Jalor, Rajasthan -343039 .

SUMMONS

WHEREAS, **OA/265/2022** was listed before Hon'ble Presiding Officer/Registrar on **14/10/2022.**
WHEREAS this Hon'ble Tribunal is pleased to issue Summons/ Notice on the said Application under Section 19(4) of the Act, (O.A.) filed against you for Recovery of Debts of **Rs. 2095104/-** (Application along with copies of documents etc. annexed). In accordance with sub-section (4) of Section 19 of the Act, you the Defendants are directed as under:- **(i)** to show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted; **(ii)** to disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under serial number 3A of the original application; **(iii)** you are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under serial number 3A of the original application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties; **(iv)** you shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest is created and/ or other assets and properties specified or disclosed under serial number 3A of the original application without the prior approval of the Tribunal; **(v)** you shall be liable to account for the sale proceeds realised by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial institutions holding security interest over such assets. You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before **Registrar** on **12/01/2023** at **10:30 A.M.** failing which the application shall be heard and decided in your absence.
Given under my hand and the seal of this Tribunal on this date: **19/10/2022.**

Seal
Assistant Registrar,
Debts Recovery Tribunal, Jaipur

कब्जा सूचना

जबकि, असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड (आर्सिल) के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन मांग सूचनाएं जारी की थीं, जिनमें निम्नलिखित कर्जदारों से उक्त सूचनाओं में उनके संबंधित नाम के सामने वर्णित राशियां, उन पर लागू दरों पर ब्याज के साथ, उक्त सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर, आगे भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक लागू अनुसार ब्याज, उपगत किए गए अनुषंगी खर्चे, लागतें, प्रभार इत्यादि चुकाने की मांग की गई थी।

क्र. सं.	कर्जदार नाम/सह–कर्जदार नाम/ऋण खाता संख्या/विक्रेता बैंक	कुल बकाया राशि (रू. में)/ मांग सूचना की तिथि तक	कब्जा की तिथि एवं प्रकार भौतिक
1	सागर कुमार/मणि सोलंकी/किरण बाला पत्नी महिन्दर कुमार/609791000000049	रू. 18,83,037.88/– 17–05–2022 तक	06–12–2022

प्रतिभूत सम्पत्ति : प्लॉट नंबर 11, सम्पूर्ण द्वितीय तल और तृतीय तल छत के अधिकार के साथ, जो ब्लॉक नंबर एफ–21, सेक्टर–15, रोहिणी आवासीय स्कीम में रोहिणी आवासीय स्कीम के लेआउट प्लान में स्थित हे। सम्पत्ति किरण बाला के नाम है। क्षेत्रफल परिमाप 25.9 वर्ग मीटर

जबकि इसमें ऊपर वर्णित कर्जदार बकाया राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदारों को विशेष रूप से और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि आर्सिल के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां ऊपर वर्णित संपत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों का भौतिक कब्जा उपरिवर्णित तिथियों को प्राप्त कर लिया है।
विशेष रूप से ऊपर वर्णित कर्जदारों तथा जनसाधारण को उपरोक्त संपत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और उपरोक्त संपत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों के संबंध में कोई भी संव्यवहार आर्सिल के प्रभार के अधीन होगा।

स्थान : रोहिणी
तिथि : 08–12–2022

हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी
असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड

असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड
सीआईएन : U65999MH2002PLC134884, वेबसाइट : www.arcil.co.in
पंजीकृत कार्यालय : दि रूबी, 10वां तल, 29, सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई – 400028, टेलीफोन : 022–66581300
शाखा पता : यूनिट नंबर 1008, 11वां तल, वेस्ट एंड मॉल, जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर, नई दिल्ली–110 058, टेलीफोन : 9289119262–67